सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–137/2017

बउनवान

कमल उम्र 50 वर्ष पुत्र भरोसा जाति चमार निवासी गोडियामेहर तहसील छबड़ा जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा जिला बारॉ
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 07.08.2018

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 404/2017 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 18.9.2017 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम गोडियामेहर की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2074 मे खसरा नम्बर 720 की रकबा 3.00 बीघा भूमि पर फसल उढद की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 150/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 07.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दण्डित फरमाने मे कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांट को दण्डित फरमाने मे कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना दण्डित फरमाने मे भयंकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर बिना पी–14 की नकल शामिल किए व पटवारी हल्का के बयान दिए बिना अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलांट को दण्डित फरमाने मे कानूनी भूल की है। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल उढद की बोकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को तामील करवाई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी सम्वत् 2073 मे इसी आराजी पर फसल बोई जाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया जाना बयान पटवारी एवं रिपोर्ट से प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 मे किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई, सिविल कारावास की सजा बहाल रखी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षो के तर्को का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 404/2017 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 18.09.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां